प्रेस नोट

दिनांक 02.03.2021

थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजो के आधार पर धोखाधडी कर अवैध रूप से फंडिंग करने वाले 04 जालसाज अभियुक्त मय 74000/ रूपये सहित गिरफ्तार

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनिती पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के नेतृत्व में श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री सतेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजो के आधार पर धोखाधडी कर अवैध रूप से फंडिंग करने वाले 04 शातिर जालसाज अभियुक्त मय 74000/ रुपये सहित गिरफ्तार किये गये।

अवगत कराना है कि दि0 01.03.2021 को थाना मंडी धनौरा पर वादी श्री शकील अहमद सलमानी पुत्र श्री जमील अहमद निवासी म0न0 B-81 विजय पार्क थाना भजनपुरा पुर्वोत्तर, दिल्ली ने सूचना दी कि मैने व बिनाज बेगम, तब्बसुम, रूकसार, वर्ष 2008 मे दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई लाडली योजना 2008 के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली एनटीसी सरकार के तहत अपनी-अपनी पुत्रियों का रजिस्ट्रेशन कराया था जिसकी मैच्यूरिटी के बाद भी खाते मे पैसा नही आया तथा पूछने पर बार-बार टाल दिया गया। परन्तु कुछ दिनो पश्चात मालूम हुआ कि अभियुक्तगण 1. अमर पंचाल 2. गुलिस्ता 3. शमा 4. श्रीमती राहत 5. श्रीमती खालिदा 6. श्रीमती रहिसा खातून 7. महमूद हसन व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञान ने उक्त योजना के अन्तर्गत हम लोगो को प्राप्त होने वाली घनराशि की रकम को फर्जी दस्तावेजो के आधार पर धोखाधडी कर अपने-अपने खातो मे ट्राँस्फर करा लिये है। उक्त सूचना पर थाना मंडी धनौरा पर मु0अ0स0 72/2021 धारा 406/420/467/468/471 भादवि बनाम 08 अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर अभियोग मे गहन विवेचना व साक्ष्य संकलन किये गये।

आज दि0 03.02.2021 को थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा उक्त घटना मे संलिप्त 04 नामजद अभियुक्त 1. अमर पांचाल पुत्र रामपाल नि0 म0न0 538 , गली न0 08, अमर कॉलोनी गोकुलपुरी , पुर्वोत्तर दिल्ली। 2. गुलिस्ता पुत्री मौ0 असलम नि0 म0न0 768, गली न0 08, मुस्तफाबाद, नई दिल्ली। 3. शमा पुत्री मौ0 असलम निवासी ग्राम चुचैला कला थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा। 4. महमूद हसन पुत्र अली हसन निवासी ग्राम जललाबाद चिंगी रावली थाना जहाँगीरपुर जनपद बुलन्दशहर। को होली पार्क धनौरा से खातो से निकाली गई कमय का बटवारा करते समय 74000/ रूपये , 03 एसबीआई बैक शाखा धनौरा की पासबुक व खातो से ट्राँजक्शन का स्टेटमेन्ट सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध से घटना के विषय मे गहना से पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम

प्रयासरतहै।

पुछताछ विवरण:-

अभियुक्त महमूद हसन ने पूछताछ पर बताया कि मैं बाल विकास विभाग दिल्ली में कंप्यूटर पर डाटा एंट्री क्लर्क हूं जिसमें लाडली योजना के अंतर्गत लड़कियों का स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस में वर्ष 2010 में बीमा कराया था जो वर्ष 2011 का पूर्ण हो चुकी थी 10 वर्ष होने के बाद भी जब इन रुपयों की निकासी नहीं हुई तो मेरे मन में लालच आ गया और मैने गुलिस्ता, बादशाह ,अमर पंचाल के माध्यम से यह रुपया एसबीआई धनौरा से राहत खालिदा, रईसा खातून के अकाउंट में मंगा कर खाता धारकों के माध्यम से निकालकर रुपयों का बंटवारा कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अमर पांचाल पुत्र रामपाल नि0 म0न0 538 , गली न0 08, अमर कॉलोनी गोकुलपुरी , पुर्वोत्तर दिल्ली।

2. गुलिस्ता पुत्री मौ0 असलम नि0 म0न0 768, गली न0 08, मुस्तफाबाद, नई दिल्ली।

3. शमा पुत्री मौ0 असलम निवासी ग्राम चुचैला कला थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

4. महमूद हसन पुत्र अली हसन निवासी ग्राम जललाबाद चिंगी रावली थाना जहाँगीरपुर जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी:-

1. धोखाधडी करके बैक खातो से निकाले गये 74000/ रूपये

2. 03 बैक पास बुक एसबीआई धनौरा, ट्राँजक्शन स्टेटमेन्ट की कॉपी।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

1- प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

2- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

3- का0 मनोज कुमार थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

4.- म0का0 प्रियंका गौतम थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

5.- म0का0 सोनम थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।